विषय:- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित की जा रही हिंदी भाषा की प्रबोध, प्रवीण, प्राण, प्राज बैंकिंग तथा पारंपरिक परीक्षाओं की परीक्षा प्रणाली में सुधार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग के दिनांक 16.2.2015 के पत्रांक 21034/18/2014-रामा(प्रशिक्षण) के अनुपालन में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित की जा रही हिंदी भाषा की प्रबोध, प्रवीण, प्राण, प्राज बैंकिंग तथा पारंपरिक परीक्षाओं की परीक्षा प्रणाली में निर्मलितित विद्वानों पर सुधार किए जा रहे हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न-पत्र में उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत के बजाय 35 प्रतिशत किए गए हैं।

2. परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है न कि कुल योग के आधार पर।

3. परीक्षार्थियों के किसी भी एक प्रश्न-पत्र में अनुतीर्ण होने पर उसे संपूर्ण परीक्षा में अनुतीर्ण घोषित न करके केवल उसी प्रश्न-पत्र में अनुतीर्ण घोषित किया जाएगा तथा उसे केवल उसी प्रश्न-पत्र को पुनः उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

4. प्रत्येक माध्यम से प्रबोध, प्रवीण, प्राण परीक्षाओं में सममितित होने वाले परीक्षार्थी के उत्तर-पत्र (रिस्यूंग-शैट) समय पर प्राप्त न होने पर उन्हें अनुतीर्ण घोषित न करके उनकी प्रश्न-पत्र III की मौखिक परीक्षा ली जाएगी।
उदाहरण के लिए उक्त आदेश के अनुसार निम्नलिखित चार्ट तैयार किया गया है; मई, 2016 की प्रबोध, प्रवीण, प्राज, प्राज बैंकिंग तथा पारंगत परिस्थितियों के साथ-साथ आशा की अन्य सभी परिस्थितियों पर तत्काल प्रमाण से निम्नलिखित चार्ट के अनुसार परिणाम घोषित किए जाएँगे:

<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रश्न पत्र</th>
<th>प्रश्न पत्र</th>
<th>परिणाम</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>35 या 35 से अधिक</td>
<td>35 या 35 से अधिक</td>
<td>35 या 35 से अधिक</td>
</tr>
<tr>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
</tr>
<tr>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
</tr>
<tr>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
</tr>
<tr>
<td>35 या 35 से अधिक</td>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
</tr>
<tr>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
</tr>
<tr>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
</tr>
<tr>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
<td>35 से कम</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>पुरुष-1</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>पुरुष-1</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>पुरुष-1</td>
</tr>
<tr>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>अनुपस्थित</td>
<td>पुरुष-1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रबोध/प्रवीण/प्राज/पारंगत परिस्थितियों में पूरक आने पर टंकन परिस्थितियों की भावित अगले सत्र की परिस्थिता में प्रियोजन रूप से अपने मूल अनुमोदन से पूरक प्रबोध/प्रवीण/पूरक प्राज/पूरक पारंगत परिस्थिति में बैठना होगा।

पूरक परिस्थिति (पूरक प्रबोध/पूरक प्रवीण/पूरक प्राज/पूरक पारंगत) में यदि वह परिस्थिति अपनी परिस्थिति उत्तीर्ण नहीं कर पाता तो उसे पूरक परिस्थिति परिणाम में पूरीति अनुतीर्ण घोषित किया जाएगा।

उक्त सभी सुझाव की सुझाव सभी संबंधित सहायक निदेशकों, हिंदी प्राध्यापकों तथा अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, नियमों, नियमावलियों आदि को भी देने का काम करें।

ये आदेश हिंदी शिक्षण योजना, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, उप संस्थान के अंतर्गत होने वाली प्रबोध, प्रवीण, प्राज, प्राज बैंकिंग तथा पारंगत की सभी परिस्थितियों पर लागू होंगे।

ये आदेश मई, 2016 सत्र की परिस्थितियों के साथ-साथ हिंदी आशा की अन्य सभी परिस्थितियों पर तत्काल प्रमाण से लागू होंगे।

भवदीया,

उप निदेशक (परिषद)
कोड - chti1102

प्रतिलिपि:-
1. निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग, एन.डी.सी.सी.-II भारत, नई दिल्ली।
2. श्री केवल कृष्ण, विशिष्ट तकनीकी निदेशक(एन.आई.सी.), राजभाषा विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे वेबसाइट पर अपलोड करवाने का काम करें।